

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा
नविता वशिष्ट बनाम कमल वगैः

किस्म मुकदमा दावा धारा 53,188 आर.टी.ए.

मु० नं०..... 1/126 सन-2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

UCMS

2025/187

नम्बर व तारीख
इहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुकम

13.06.2025

दावा वकील वादी श्री रामनिवास जाट, एडवोकेट ने
उपरिथत होकर अन्तर्गत धारा 53,188 प्रस्तुत किया, दावा
दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ज रजि० नोटिस
तलब कर पत्रावली दिनांक 16.07.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

09/10/25 पत्रावली वकील वादी के प्रार्थना
पत्र नोट-प्रेस पेश किये जाने पर
तलब की गयी। वकील वादी ने प्रार्थना
पत्र पर निवेदन किया कि पक्षकारन का
आपस में शर्हीनामा हो गया है तथा
इसी स्तर पर वादी प्रकरण को नोटप्रेस
करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर नोटप्रेस
में श्वारित की जायी है। पत्रावली फंसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर बार
तकमील वाशिवल स्तर हो।

NOT
PRESS

[Handwritten signature]

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अक्षर)